भारतीय मानक ब्यूरो
जनसंपर्क विभाग
प्रेस क्लिपिंग-

समाचार पत्र का नाम : नव भारत टाइम्स
प्रकाशन का स्थान : नई दिल्ली
प्रकाशन की तारीख : 22-6-2018

बीआईएस का हेलमेट बनाने वाली इकाई पर छापा

वि, नई दिल्ली : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), दिल्ली शाखा कार्यालय-1 ने हाल ही में मैसर्स श्री आर. स्टार एंटरप्राइजेज के किराड़ी, दिल्ली-110041 स्थित परिसर पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना आई एस 4151 : 1993 के अनुसार 'आर. स्टार' तथा 'रॉकिंग' ब्रैंड नाम से सीएम/एल-8100017593 के साथ हेलमेट का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है जोकि एक दंडनीय अपराध है। उपरोक्त छापे के दौरान, टीम ने इकाई से भारी मात्रा में हेलमेट जब्त किए।

102

भारतीय मानक ब्यूरो
जनसंपर्क विभाग
प्रेस क्लिपिंग

समाचार पत्र का नाम : mid - day
प्रकाशन का स्थान : mumbai
प्रकाशन की तारीख : 19-6-2018

BIS raids helmet manufacturing unit

Bureau of Indian Standards (BIS), Delhi Branch Office-I recently conducted an enforcement raid at the premises of M/s R. Star Enterprises Kirari, Delhi-110041. The firm was manufacturing helmets without having valid BIS Certification licence under brand names 'R. Star' and 'Rocking' with CM/L-8100017593 as per IS 4151:1993 violating Section 17 (3) of BIS Act 2016 which is a punishable offence. The raid team also seized substantial quantity of helmets at the unit.